संख्या- 12/2018/644/अड़तीस-7-2018-100नरेगा/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय- मनरेगा व ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं का उपयोग चारागाह विकास तथा पशु आश्रय स्थल बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की मार्ग-निर्देशिका के अनुबंध- 36 के अनुसार मनरेगा एवं डेयरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कनवर्जेन्स के अन्तर्गत भूमि विकास, चारागाह एवं घेराबंदी को मनरेगा के तहत अनुमन्य कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03-01-2014 में मनरेगा अधिनियम 2015 की अनुसूची-1 के बिन्दु-।। के प्रवर्ग-आ-दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां- के बिन्दु -(V) में पशुधन संवर्द्धन के लिए अवसंरचना का निर्माण यथा-कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आज्ञय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका को अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रवर्ग 'ई' के बिन्दु -(II) में स्वंय सहायता समूहों की आजीविका क्रिया-कलापों के लिए सामान्य कार्यशाला (COMMON WORK SHED) को अनुमन्य कार्य श्रेणी में रखा गया है।

2- चूंकि मनरेगा योजना अधिनियम आधारित है। कार्य की मांग के आधार पर निर्मित ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर से अनुमोदित व ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत श्रम बजट के सापेक्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप किये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत विषय से संबंधित कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

कार्यश्रेणी	क्षेत्र	कार्य का नाम
प्रवर्ग-आ-दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा-5 में गृहस्थी के लिए)	पशुधन संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन	कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका
प्रवर्ग 'ई' के बिन्दु -(II) में स्वंय सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना	सामान्य अवसंरचना	स्वंय सहायता समूहों की आजीविका क्रिया-कलापों के लिए सामान्य कार्यशाला (COMMON WORK SHED)
लोक निर्माण संबंधी कार्य	कन्वर्जेन्स	भूमि विकास, चारागाह, घेराबन्दी
ऐसे कार्य जो अमूर्त है, अमापनीय है, पुनरावृत्तीय है जैसे-घास, कंकर काटना मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य नहीं है।		

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है :अत ,सं पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के लिए मनरेगा एवं अन्य योजनाएं यथा- 14वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग, वन विभाग, उदयान विभाग, पशु पालन विभाग, कृषि विभाग इत्यादि के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मध्य कन्वर्जेन्स किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में से ऐसे समूह, जो प्रश्नगत विषय से संबंधित कार्य करने में दक्ष हो, को भी इसमें कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ पशुधन संवर्धन मनरेगा कार्यश्रेणी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी, अपितु स्वंय सहायता संमूहों की आजीविका संवर्धन भी हो सकेगा।

इस संबंध में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित गोचर क्षेत्र के रख-रखाव एवं उस पर होने वाले आवर्ती व्यय का वहन मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 12/2018/ 644(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0।
4. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
6. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, 30प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।